

FORM NO. III



फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत ..... तहसीलदार मुकाम महवा

सरकार बनाम धीरेकिशन शं० हीरया जति मीना

किस्म मुकदमा धारा 91 LR ACT नं. 229/17 सन्.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/2/17	<p>पटवारी हल्का की रिपोर्ट दर्ज कर अतिक्रमी को राज. भू. राजस्व अधि. 1956 धारा 91 का नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक ..10/1/17... को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">                       तहसीलदार                      महवा, दौसा                 </p>	
10/1/8	<p>पत्रावली पेश हुई आपज लगवा डे गइ अतिक्रमी उपस्थित आया है अतिक्रमी द्वारा श्री मान R.AA मेधेध जयपुर केम्य दौसा का स्थगन आदेश पेश किया किया दिनांक 22/02/18 राजस्व रिकार्ड एवं माक की प्रथास्थिति को देखते एवं इस न्यायालय के आदेश 24/01/2017 की क्रियाविविती पर स्थगन दिया गया है अतः पत्रावली दिनांक 26/02/18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">                       तहसीलदार                      तहसील-महवा (दौसा)                 </p>	<p>धीरेकिशन मीना</p>
26/2/18	<p>पत्रावली पेश हुई आपज लगवा डे गइ अतिक्रमी उपस्थित आया</p>	<p>धीरेकिशन मीना</p>

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर अहकान हुकम की में जानि
	<p>रिपोर्ट की गयी। पुनः पटवारी द्वारा अपगत करवा ली अतिक्रमी का पुनः में खं. नं० <sup>113</sup> <del>पर</del> अतिक्रमण <del>के</del> की रिपोर्ट को गई थी सम्वत 2074 खी में भी कठिक्रमी द्वारा खुदा जल भर खं. नं० 113 पर अतिक्रमण किया गया है परन्तु सम्वत 2073 में किया गया अतिक्रमण खा खं. नं० 113 में ही सम्वत 2174 में अतिक्रमण किया वह इसरे सम्वत में स्थित हैना बताया गया जिले उक्त रिपोर्ट नवीन अतिक्रमण प्राप्ति जाते का निकारा किया है। अतिक्रमी को परचारवती अतिक्रमण का नोटिस किया गया था पटवारी की रिपोर्ट के परचार अतिक्रमण अलग सम्वत पर हैने है नवीन अतिक्रमण प्राप्त हुआ है। कठिक्रमी द्वारा दोस लाख सर्वत पेश नहीं किया। कठिक्रमी को रजिस्ट्रार ग्राम पर कंक्रा लगाया जाना अतिक्रमण कार: अतिक्रमी को अतिक्रमण खुदा रकम के वेदनाल किया जाता है। लचारा नवीन लमान 0-44 रुपये का 50 खुदा 22-00 रुपये आएने का पत्र की जाती है। T R A तहसील द्वारा को मोग का पत्रो हेतु तब अधिक निरीक्षक महकम को कोरली हेतु तथा पटवारी हलका को जेनलरो रखी हेतु लिया जावे। पत्रावली खाद तहमील दाखिल इफतर है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

6/1  
 सविस्तर माघ के पत्र नं०...  
 वर्ष 2017-18  
 को राशि तबानी रूपमें...  
 की जमा करवायी की गई।  
 दिनांक 8/3/18  
 पटवारी  
 तहसील

तहसीलदार